

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— अधिसूचना —

18 SEP 2013
 रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि : राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 01, अनुक्रमांक 03, अनुक्रमांक 05, अनुक्रमांक 12, अनुक्रमांक 23, अनुक्रमांक 25, अनुक्रमांक 32, अनुक्रमांक 33 (अ), अनुक्रमांक 33 (ब), अनुक्रमांक 34, अनुक्रमांक 38, अनुक्रमांक 39, अनुक्रमांक 42, अनुक्रमांक 45, अनुक्रमांक 51 तथा अनुक्रमांक 59 पर अंकित प्रविष्टियों में जातियों के समक्ष उपजातियों के लिए अंकित कोष्टक "()" को अल्प-विराम "," के द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :

क्र.	अ0पि0व0 सूची का अनु क.	नाम जाति/वर्ग समूह (पूर्व प्रविष्टि)	नवीन प्रतिस्थापन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रमांक 01	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (गवारी), गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, (राउत), महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी गवारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत
2	क्रमांक 3	बैरागी (वैष्णव)	बैरागी, वैष्णव
3	क्रमांक 5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया
4	क्रमांक 12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/ मल्लाह, नावड़ा /तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), केवट, कीर, ब्रितिया (वित्तिया), सिंगरहा, जालारी, (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/ मल्लाह, नावड़ा /तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, केवट, कीर, ब्रितिया वित्तिया, सिंगरहा, जालारी,, जालारनलु (बस्तर जिले में), सोधिंया
5	क्रमांक 23	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल, बघेले)	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया गारी, गायरी, पाल, बघेले
6	क्रमांक 25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन), कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़वाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी	कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़वाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी
7	क्रमांक 32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी
8	क्रमांक 33 (अ)	काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर	काछी कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर

(1)	(2)	(3)	(49)
9	कमांक 33 (ब)	माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार
10	कमांक 34	जोशी(भड़डारी) डकोचा, डकोता	जोशी, भड़डारी, डकोचा, डकोता
11	कमांक 38	कुम्हार(प्रजापति), कुम्हार	कुम्हार, प्रजापति, कुम्हार
12	कमांक 39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुलमी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैल(गमैल), सिरवी	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुलमी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी
13	कमांक 42	कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना
14	कमांक 45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नावी, उसरेटे	नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नावी, उसरेटे
15	कमांक 51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेली, ठाठ, साहू, राठौर
16	कमांक 59	लोढा (तंवर)	लोढा, तंवर

2. जिन जातियों के कोष्टक हटाये जा रहे हैं, उन जाति के विद्यार्थियों को जारी की गयी अंकसूचियों में अंकित जाति में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Acharya
18/9/2013
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव

पृष्ठमांक / एफ 19—22 / 25—2 / 2013 / आजावि, रायपुर, दिनांक..... सितम्बर, 2013
प्रतिलिपि :- 18 SEP 2013

- (1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
- (2) विशेष सहायक मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर
- (3) मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय रायपुर
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
- (5) सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
- (6) शासन के समस्त विभाग
- (7) समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
- (8) आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर
- (9) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
- (10) समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
- (11) समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
- (12) सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
- (13) समस्त परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना छत्तीसगढ़
- (14) समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
- (15) उप संचालक, शास.मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु.
- (16) आदेश प्रति.

Acharya
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ०जा०तथा०नु०जा०विभाग